न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28 / 2016 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय निवासी सिंघल मौहल्ला बांदीकुई हाल ग्राम पोस्ट मेगा हाईवे सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा। मैसर्सः— कान्हा ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा दौसा विक्रेता।
2. श्रीमति पारूल विजय पत्नि श्री दीपक विजय सिंघल मौहल्ला बांदीकुई हाल ग्राम पोस्ट मेगा हाईवे सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा। मैसर्सः— कान्हा ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा दौसा मालिक।
3. श्री विरेन्द्र सीरवी पुत्र श्री फुखराज सीरवी निवासी वर्द्धमान नगर अजमेर रोड, हीरापुरा जयपुर मैसर्सः—आई.जी. फूड्स एण्ड स्नैक्स प्लॉट नं. ए 1, ए 2 वर्द्धमान नगर, अजमेर रोड, हीरापुरा जयपुर विक्रेता।
4. श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा निवासी 11 / 622 द्रोण विद्यालय के सामने, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर बंगला नगर राजस्थान, नोमिनी फर्म।
5. बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ 196—199 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर निर्माता फर्म।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—25.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.11.2015 को दोपहर 03:50 बजे मैसर्सः—कान्हा ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दीपक विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय निवासी सिंघल मौहल्ला बांदीकुई हाल ग्राम पोस्ट मेगा हाईवे सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में सोन पपडी (बिकाजी) 20 पैकिट मूल सील्ड **X** 450 ग्राम आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से 4 मूल पैकिट **X** 450 ग्राम सोन पपडी (बिकाजी) नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 440 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार [illegible]ार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफबीओ(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवा[illegible] लेब[illegible] को खरीदशुदा सोन पपडी (बिकाजी) के मूल सील्ड कम्पनी पैक पैकिटो पर चिपकाकर पैकि[illegible] अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पर्ची पर जी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1252 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

पैकिटो पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.11.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.11.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.11.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3393/एक्ट/2015/58 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /3393/एक्ट/2015/58 दिनांक 5.1.2016 में अंकितानुसार **Sample is in a sealed and intact company packet hard paper box having sample in plastic box packing of 450 gm. THE PLASTIC BOX IS KEPT LOOSE IN DUPLEX BOX WITHOUT INFORMATION LIKE B.No. DATE OF MFG. ETC. Contravention of Regulation No. 2.2.1(4), 2.3.1(4) of Food Safety and Standards(Packaging and Labeling Regulations 2011)** होना अंकित किया गया है। इस प्रकार जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) का नमूना **Regulation No. 2.2.1(4), 2.3.1(4) of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling Regulations 2011)** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 5.1.2016 के बिन्दु संख्या ... लेबल के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 के अनुसार सभी जानकारी खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित की गई है। जिससे खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3393/एक्ट/2015/58 दिनांक 5.1.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना नियम **2.2.1(4), 2.3.1(4) of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling Regulations 2011)** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड स्तर के खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बिकाजी) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा निवासी 11/622 द्रोण विद्यालय के सामने, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर बंगला नगर राजस्थान, नोमिनी फर्म एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 5 बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ 196–199 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर निर्माता फर्म पर 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 व 5 उक्त राशि निर्णय दिनांक 25.06.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .06.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक विजय पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय निवासी सिंघल मौहल्ला बांदीकुई हाल ग्राम पोस्ट मेगा हाईवे सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा। मैसर्सः– कान्हा ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा दौसा विक्रेता।
4. श्रीमति पारूल विजय पत्नि श्री दीपक विजय सिंघल मौहल्ला बांदीकुई हाल ग्राम पोस्ट मेगा हाईवे सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा। मैसर्सः– कान्हा ट्रेडर्स, गीजगढ रोड, सिकन्दरा चौराहा दौसा मालिक।
5. श्री विरेन्द्र सीरवी पुत्र श्री फुखराज सीरवी निवासी वर्द्धमान नगर अजमेर रोड, हीरापुरा जयपुर मैसर्सः–आई.जी. फूड्स एण्ड स्नैक्स प्लॉट नं. ए 1, ए 2 वर्द्धमान नगर, अजमेर रोड, हीरापुरा जयपुर विक्रेता।
6. श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा निवासी 11/622 द्रोण विद्यालय के सामने, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर बंगला नगर राजस्थान, नोमिनी फर्म।
7. बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ 196–199 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर निर्माता फर्म।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official